20-8-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थी तहसीलदार इन्द्रगढ़ स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब पेश नहीं कर अनापत्ति जाहिर करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अनापत्ति प्रस्तुत की हस्ताक्षर आदेशिका में करवाये जाये। प्रार्थी प्रार्थना में अंकित कृषि भूमि ख. सं 45 रकबा 2.43 है० बाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ़ का रिकॉर्ड खातेदार है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार है। अत: प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय	TDR. 20-8-24

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
	पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

91/प्रा.पत्र/2024
दायरा दिनांक 07.08.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

मंजू सोनी पत्नी राधेश्याम सोनी जाति स्वर्णकार निवासी ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिया

बनाम

राजस्थान सरकार राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :– श्री अब्दुल सत्तार
अप्रार्थी की ओर से :– पैरोकार सरकार।

दिनांकः– 20.08.2024

–:आदेशः–

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है कि ग्राम डांगाहेडी बसवाडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी प्रार्थीया की कृषि भूमि खाता संख्या नया 136 पुराना 209 खसरा नं0 45 रकबा 2.43 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.43 है जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थिया हैं एवं काबिज काश्त कारी करता चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। प्रार्थिया अपने खाते की उक्त आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। प्रार्थिया की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थिया की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस–पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थिया की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थी की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है प्रार्थिया की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीया की सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिया की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण प्रार्थिया की उक्त आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

...ती हैं। प्रार्थिया को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थिया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थीगण की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर प्रार्थिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। हमारे मत में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया की कृषि वाके ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उताराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी खाता संख्या नया 136 पुराना 205 खसरा नं0 45 रकबा 2.43 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 2.43 है का टीनेन्ट खातेदार प्रार्थीया की कृषि है एवं काबिज काश्त होकर काश्त करती चली आ रही है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थिया की खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दख़ल दिये नियमतः नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)